



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 398]

नई दिल्ली, बहस्पतिवार, नवम्बर 14, 2019/कार्तिक 23, 1941

No. 398]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 2019/KARTIKA 23, 1941

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 13 नवम्बर, 2019

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (तीसरा संशोधन), विनियमावली, 2019

सं. फेमा 5(आर)/(3)/ 2019-आरबी,— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (एफ), धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 [दिनांक 01 अप्रैल 2016 की अधिसूचना सं.फेमा.5(आर)/2016-आरबी] (जिसे इसके पश्चात “मूल विनियमावली” कहा गया है) में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2019 कहलाएगी।

(ii) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. मूल विनियमावली में अनुसूची 4 में:

(ए) पैराग्राफ 1 के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

1. “भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति, जिसका भारत में कारोबारी हित निहित है, वह रुपये में सदाशयी लेनदेन के उद्देश्य से भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास अधिनियम, उसके अंतर्गत निर्मित नियमों और विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन न करते हुए विशेष अनिवासी रुपया खाता (SNRR Account) खोल सकता

है। कारोबारी हित में जेनेरिक कारोबारी हित के अलावा भारतीय रुपये के निम्नलिखित लेनदेन शामिल होंगे अर्थात:

- (i) समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 17 अक्टूबर 2019 को जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर कर्ज़ लिखत) नियमावली, 2019 तथा दिनांक 17 अक्टूबर 2019 को अधिसूचना संख्या फेमा.396/2019-आरबी के मार्फत जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (कर्ज़ लिखत) विनियमावली, 2019, इनमें से जो भी लागू हो, के अनुसरण में भारत में किए गए निवेश;
- (ii) दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.जीएसआर 381(अ) यथा समय-समय पर यथा-संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन), नियमावली, 2000 के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा-5 के अनुसरण में माल तथा सेवाओं का आयात करना;
- (iii) दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.जीएसआर 381(अ) यथा समय-समय पर यथा-संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन), नियमावली, 2000 के साथ पठित तथा समय-समय पर यथा-संशोधित 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं.23(आर)/2015-आरबी के साथ भी पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7 के अनुसार माल तथा सेवाओं का निर्यात;
- (iv) समय-समय पर यथा-संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना तथा उधार देना) विनियमावली, 2018 के अनुसार बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) ढांचे के अंतर्गत व्यापार ऋण के लेनदेन करना तथा उधार देना;
- (v) गिफ्ट सिटि में आईएफएससी इकाइयों द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) के बाहर कारोबार संबंधी लेनदेन, जैसे: आईएफएससी के बाहर भारतीय रुपये में प्रशासनिक व्यय, स्ट्रैप की बिक्री से प्राप्त भारतीय रुपये में राशि; भारतीय रुपये में सरकारी प्रोत्साहन राशि, आदि। यह खाता भारत में (आईएफएससी से बाहर) किसी बैंक में रखा जाएगा।”

(बी) पैराग्राफ 2 के संबंध में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

“2. विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाता जिस विशिष्ट कारोबार के लिए परिचालन में रखा जाना हो, उसकी नामावली उसके नाम में शामिल होनी चाहिए। भारतीय बैंक अपने विवेकानुसार लेनदेन की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग एसएनआरआर खाते अथवा लेनदेन की एक से अधिक श्रेणियों में शामिल भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति के लिए एक ही एकल एसएनआरआर खाता बनाए रख सकता है, बशर्ते की उक्त बैंक उनकी पहचान कर पाए/ उन्हें अलग कर पाए तथा श्रेणी-वार उसका लेखा रख पाए।”

(सी) पैराग्राफ 3, 5, और 6 में “करना चाहिए”(should) इस शब्द को “करेगा” (shall) शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(डी) पैराग्राफ 8 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

“8. एसएनआरआर खाते की अवधि संविदा की अवधि/ परिचालन की अवधि/ खाताधारक के कारोबार के समवर्ती होगी और किसी भी मामले में वह सात वर्ष से अधिक नहीं होगी। जिन मामलों में नवीकरण आवश्यक हैं, उनमें रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त किया जाए :

बशर्ते इस अनुसूची के पैराग्राफ-1 के उप पैराग्राफ (i) से (v) पर दिए गए प्रयोजनों के लिए खोले गए एसएनआरआर खातों पर सात वर्ष का प्रतिबंध लागू नहीं होगा।”

(ई) पैराग्राफ 13 हेतु, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

“13. मृत खाताधारक के खाते से किसी अनिवासी नामिती को देय/ भुगतान हेतु देय राशि को भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी/ प्राधिकृत बैंक में नामिती के एनआरओ/ एनआरई खाते में जमा किया जाएगा अथवा सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से विप्रेषण के द्वारा भेजा जाएगा।”

अजय कुमार मिश्र, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन III/4/असा./ 288/19]

फुट नोट: विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 (दिनांक 1 अप्रैल 2016 की अधिसूचना सं.फेमा.5 (आर)/ 2016 आरबी) को दिनांक 1 अप्रैल 2016 को जीएसआर सं. 389(अ) के माध्यम से सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया तथा तदपश्चात निम्नलिखित के माध्यम से संशोधित किया गया, अर्थात :-

09.11.2018 के सा. का. नि. सं.1093 (अ)

16.07.2019 के सा. का. नि. सं. 498 (अ)

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th November, 2019

Foreign Exchange Management (Deposit) (Third Amendment) Regulations, 2019

No. FEMA 5 (R)/ (3)/2019-RB.— In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of section 6, sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016 (Notification No. FEMA 5 (R) /2016-RB dated April 01, 2016) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'), namely:-

1. Short title and commencement.

- (i) These regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Deposit) (Third Amendment) Regulations, 2019.
- (ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Principal Regulation, in SCHEDULE 4,

- (a) for paragraph 1, the following shall be substituted, namely, :-

“1. Any person resident outside India, having a business interest in India, may open Special Non-Resident Rupee Account (SNRR account) with an authorised dealer for the purpose of putting through bona fide transactions in rupees, not involving any violation of the provisions of the Act, rules and regulations made thereunder. The business interest, apart from generic business interest, shall include the following INR transactions, namely, :-

i. Investments made in India in accordance with Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 dated October 17, 2019 and Foreign Exchange Management (Debt Instruments) Regulations, 2019 notified vide notification no. FEMA 396/2019-RB dated October 17, 2019, as applicable, as amended from time to time;

ii. Import of goods and services in accordance with Section 5 of the Foreign Exchange Management Act 1999 (42 of 1999), read with Notification No. G.S.R. 381(E) dated May 3, 2000, viz., Foreign Exchange Management (Current Account Transaction) Rules, 2000, as amended from time to time;

iii. Export of goods and services in accordance with Section 7 of the Foreign Exchange Management Act 1999 (42 of 1999), read with Notification No. G.S.R. 381(E) dated May 3,

2000, viz., Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) Rules, 2000, as amended from time to time, and further read with FEMA Notification No.23(R)/2015-RB dated January 12, 2016, as amended from time to time;

iv. Trade credit transactions and lending under External Commercial Borrowings (ECB) framework in accordance with Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending) Regulations, 2018, as amended from time to time; and

v. Business related transactions outside International Financial Service Centre (IFSC) by IFSC units at GIFT city like administrative expenses in INR outside IFSC, INR amount from sale of scrap, government incentives in INR, etc. The account will be maintained with bank in India (outside IFSC).”

(b) for paragraph 2, the following shall be substituted, namely, :-

“2. The SNRR account shall carry the nomenclature of the specific business for which it is in operation. Indian bank may, at its discretion, maintain separate SNRR Account for each category of transactions or a single SNRR Account for a person resident outside India engaged in multiple categories of transactions provided it is able to identify/ segregate and account them category-wise.”

(c) in paragraphs 3,5 and 6, for the word ‘should’, the word ‘shall’ shall be substituted.

(d) for in paragraph 8, the following shall be substituted, namely, :-

“8. The tenure of the SNRR account shall be concurrent to the tenure of the contract / period of operation / the business of the account holder and in no case shall exceed seven years. Approval of the Reserve Bank shall be obtained in cases requiring renewal:

Provided the restriction of seven years shall not be applicable to SNRR accounts opened for the purposes stated at sub. paragraphs i to v of paragraph 1 of this Schedule.”

(e) for paragraph 13, the following shall be substituted, namely, :-

“13. The amount due/ payable to non-resident nominee from the account of a deceased account holder, shall be credited to NRO/NRE account of the nominee with an authorised dealer/ authorised bank in India or by remittance through normal banking channels. ”

AJAY KUMAR MISRA, Chief General Manager-in- Charge

[ADVT.-III/4/Exty./288/19]

Foot Note:

The Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016 (Notification No. FEMA. 5 (R)/2016-RB dated April 01, 2016) was published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 389(E) dated April 1, 2016 and subsequently amended vide the following, namely,-

G.S.R. No. 1093(E) dated 09.11.2018

G.S.R. No. 498(E) dated 16.07.2019